WESTERN RAILWAY

P.S.No. 36/2013

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai-20

No. E(R&T)1136/0/App.M. Vol.II

Date: 15.05.2013

To,

All DRMs / CWMs & Units Incharge,

C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.

C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai

C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Training Module of ALP (Diesel) to LP (Shunter) and ALP Sub: (Electrical) to ET.

A copy of Railway Board's letter No.E(MPP)/2012/3/19 dated 02.04.2013 (RBE No.29/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

Dy CPO(HRD)

For General Manager (E)



GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR) MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) (RAILWAY BOARD)

RBE. No. 29/2013

No. E(MPP)/2012/3/19 New Delhi dated: 0 2.04.2013

Phe General Managers, All Indian Railways including Production Units.

Sub:- Training Module of ALP (Diesel) to LP (Shunter) and ALP (Electrical) to ET

The Committee constituted to look into the specific training needs and to devise a curriculum of Assistant Loco Pilots (Diesel)/Assistant Loco Pilots (Electrical) for promotion to Loco Pilot (Shunter)/ Engine Turner has submitted their report.

Board (ML, MM & MT) have approved the recommendation of the Committee and it has been decided that in the present scenario of promotion avenue, a separate training module for Loco Pilot (Shunter)/ET is not required. Instead ALP (Diesel) being promoted as LP (Shunter) and ALP (Electrical) to Engine Turner (ET) should being promoted as LP (Shunter) and ALP (Electrical) to Engine Turner (ET) should undergo the LOCO RNG-4 or LOCO RNG-2 Training Module, as the case may be, already prescribed for promotion to LP (Goods) vide this office letter No. E(MPP)2009/3/36 dated 26.10.2009 (RBE No.191/2009).

However, those ALPs who have already undergone the LOCO RNG-4 or LOCO RNG-2 while being posted as Shunter/ET will not have to undergo the training when being considered for promotion as LP (Goods).

(Anii Wason) Dy. Director (MPP) Railway Board

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं 29 /2013

सं. ई(एमपीपी)2012/3/19

नई दिल्ली, दिनांक: 02.04.2013

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

> विषय:- सहायक लोको पायलट (डीज़ल) का लोको पायलट (शन्टर) और सहायक लोको पायलट (विजली) का इंजन टर्नर के लिए प्रशिक्षण माड्यूल।

विशेष प्रशिक्षण की जरूरतों का अध्ययन करने और सहायक लोको पायलट (डीज़ल)/ सहायक लोको पायलट (बिज़ली) की लोको पायलट (शन्टर)/ इंजन टर्नर के रूप में पदोन्नित के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

बोर्ड (सदस्य बिजली, सदस्य यांत्रिक एवं सदस्य यातायात) ने समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है और यह निश्चय किया गया है कि पदोन्नित की वर्तमान संभायनाओं के परिदृश्य में, लोको पायलट (शन्टर)/ इंजन टर्नर के लिए एक अलग प्रशिक्षण माङ्यूल की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय लोको पायलट (शन्टर) के रूप में पदोन्नित किए जा रहे सहायक लोको पायलट (डीज़ल) को और इंजन टर्नर के रूप में पदोन्नित किए जा रहे सहायक लोको पायलट (बिजली) को लोको आरएनजी-4 अथवा लोको आरएनजी-2 प्रशिक्षण माङ्यूल, जैसा भी मामला हो, दिया जाना चाहिए। इसे इस कार्यालय के दिनांक 26.10.2009 (आरबीई सं. 191/2009) के पत्र सं ई(एमपीपी)2009/3/36 के तहत लोको पायलट(गुड्स) के पद पर पदोन्नित के लिए पहले ही निर्धारित किया गया है।

बहरहाल, उन सहायक लोको पायलटो जिन्हें शन्टर/ इंजन टर्नर के रूप में तैनात करते र समय, पहले ही लोको आरएनजी-4 अथवा लोको आरएनजी-2 प्रशिक्षण दिया जा चुका है, उन्हें लोको पायलट (गुइस) के रूप में पदोन्नत करने के लिए विचार करते समय यह प्रशिक्षण नहीं लेना होगा।

अनिल वासन) उप निदेशक(एमपीपी) रेलवे बोर्ड